संचिका संख्या–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान, बांका, गोपालगंज एवं कटिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– **विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रू० 25,000/– के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	सिवान	---	DEEPAK KUMAR	25.03.2026	139/26
2		---	SURESH KUMAR	14.09.2026	274/26
3	बांका	---	मो० साईन	25.04.2025	144/25
4		---	इजेमामुल	25.04.2025	144/25
5		---	लालजीत कुमार	31.05.2026	65/25
6		---	मो० जुनैद	30.08.2025	77/25
7		---	मो० फहीम	14.02.2026	48/26
8		---	मो० महताब अंसारी	14.02.2026	47/26
9		---	मो० कलामुल अंसारी	14.02.2026	38/26
10		---	फुरकान अंसारी	14.02.2026	38/26
11		---	आतिफ अंसारी	14.02.2026	38/26
12		---	सलमान अंसारी	14.02.2026	38/26

13	बांका	---	बन्टी कुमार दास	08.08.2026	176/26
14		---	मो० जुवैद अंसारी	22.08.2026	105/26
15		---	सिददकी अंसारी	14.02.2026	38/26
16		---	मो० सागीर	24.05.2026	194/26
17		---	मो० अब्दुला	22.04.2025	136/25
18		---	मो० सज्जाक	22.04.2025	136/25
19		---	अजीत कुमार दास	24.03.2026	182/26
20	गोपालगंज	---	अरूण कुमार	19.09.2026	950/26
21	कटिहार	---	DHANI MANDAL	25.05.2026	615/26
22		---	MD MAKBUL	23.05.2026	166/26
23		---	INSAD	11.02.2026	56/26
24		---	MD JUBER	11.02.2026	184/26
25		---	GULZAR ALAM	17.02.2026	67/26
26		---	ATIL ALAM	21.01.2026	28/26
27		---	ASHISH KUMAR	07.01.2026	JUNE-26

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	36362876150	SBIN0000187	02	02@25000	50,000/-	पत्रांक–1266, दिनांक–22.10.2026
बांका	जिला पदाधिकारी, बांका	36516218847	SBIN0000243	17	17@25000	4,25,000/-	पत्रांक–770, दिनांक–12.10.2026 एवं पत्रांक–789, दिनांक–23.10.2026
गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	36368731403	SBIN0005971	01	01@25000	25,000/-	पत्रांक–1512, दिनांक–21.10.2026
कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	36546496997	SBIN0000203	07	07@25000	1,75,000/-	पत्रांक–1524, दिनांक–23.10.2026
कुल				**27**	**27@25000**	**6,75,000/–** (छः लाख पचहत्तर हजार)	

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०..... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), सिवान, बांका, गोपालगंज एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०..... 6682 पटना, दिनांक– 2/11/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/11/26
श्रमायुक्त, बिहार